

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, गवालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3171-पीबीआर/2015 विरुद्ध आदेश दिनांक 21-7-2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण क्रमांक 228/अपील/2013-14.

- 1—जगदीश पिता श्री रामेश्वर ब्राह्मण
- 2—संतोष पिता श्री रामेश्वर ब्राह्मण
निवासीगण ग्राम बामखल तहसील कसरावद
जिला खरगोन म0प्र0
- 3—दुर्गाबाई पिता रामेश्वर ब्राह्मण
- 4—पुष्पाबाई पिता रामेश्वर ब्राह्मण
- 5—उषाबाई पिता रामेश्वर ब्राह्मण
- 6—श्रीमती गंगूबाई बेवा रामेश्वर ब्राह्मण
निवासी खरगोन तहसील खरगोन
जिला खरगोन म0प्र0

..... आवेदकगण

विरुद्ध

- 1—बाबूलाल पिता श्री छीतर
- 2—गजानंद पिता श्री छीतर
दोनों निवासी ग्राम बामखल, तहसील कसरावद
जिला खरगोन म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री ओ.पी.शर्मा एवं श्री टी.टी.गुप्ता, अभिभाषकगण— आवेदकगण
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक— अनावेदकगण

:: आ दे श ::
(आज दिनांक: १५।७।१५ को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल “संहिता” कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-07-2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

०२

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार कसरावद के समक्ष उभयपक्ष के स्वत्व की ग्राम बामखल स्थित भूमि सर्वे 218, 223, 260 एवं 269 कुल रकबा 4.317 हेक्टेयर के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 16-9-13 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा स्वीकृत किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29-3-14 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21-7-15 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :—

(1) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर विचार नहीं किया गया है कि अनावेदक कमांक 1 बाबूलाल को पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 27-5-1954 से छीतर द्वारा गोदी पुत्र ले लिया गया था इस तथ्य से इंकार अनावेदक कमांक 1 द्वारा नहीं किया गया है अतः हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम की धारा 1956 की धारा 12 के अन्तर्गत अनावेदक कमांक 1 के गोदी पुत्र चले जाने के कारण उसका जन्म के कुटुम्ब से कोई संबंध नहीं रह गया था और अनावेदक कमांक 1 का प्रश्नाधीन भूमि में कोई स्वत्व नहीं होने के बावजूद तहसील न्यायालय द्वारा बटवारा आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है।

(2) अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया गया है कि उनके बडे भाई की मृत्यु हो गई है और उनके चार लड़के हैं एवं एक पुत्री है अतः तहसील न्यायालय द्वारा बटवारा आदेश पारित करने में बडे भाई के बच्चों को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो कि विधि विरुद्ध कार्यवाही है। उपरोक्त स्थिति के बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा यह मानना कि तहसील न्यायालय द्वारा

समस्त भूमिस्वामीयों को सुनवाई का अवसर देकर बटवारा आदेश पारित किया गया है त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष है ।

(3) अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा पूर्व में लिखित में प्रश्नाधीन भूमि से उसका नाम कम किये जाने की सहमति दी गई है । इस स्थिति पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

(4) संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत सभी पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देकर बटवारा आदेश पारित करना चाहिये था, परन्तु तहसीलदार द्वारा सभी सहखातेदारों एवं हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाकर बटवारा आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :—

(1) तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

(2) संहिता की धारा 178 में स्पष्ट प्रावधान है कि बटवारा सहखातेदारों के मध्य होता है और प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक क्रमांक 1 का नाम संयुक्त खातेदार के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक क्रमांक 1 एवं उसके पिता द्वारा क्य की गई है इसलिये यदि वह दत्तक पुत्र चला भी गया है तब भी उसके द्वारा क्य की गई भूमि पर आवेदकगण को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं ।

(4) आवेदकगण द्वारा स्वत्व का प्रश्न उठाया गया है और स्वत्व के प्रश्न का निराकरण व्यवहार न्यायालय से कराने हेतु आवेदकगण स्वतंत्र है ।

(5) प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण एवं अनावेदकगण द्वारा क्य की गई है और आवेदकगण के पिता द्वारा बाबूलाल एवं गजानंद के पक्ष का सहमतिनामा दिया गया है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि आवेदक जब चाहे अपनी भूमि का बटवारा करा सकता है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित करने में पूर्णतः

वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित करने में संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बने बटवारा नियमों का पालन नहीं किया है। यहां तक कि तहसीलदार द्वारा बटवारे में पुत्रियों को हिस्सा नहीं दिया गया है, इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा असमान बटवारा किया गया है। उपरोक्त तथ्यात्मक एवं वैधानिक स्थिति को अनदेखा कर अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार के आदेश की पुष्टि की गई है जो कि पूर्णतः अवैधानिक एवं अनुचित कार्यवाही है। ऐसी स्थिति में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सभी उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः विधिवत् बटवारा किया जाकर बटवारा आदेश पारित करें।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण क्रमांक 3167-पीबीआर/2015 पर भी लागू होगा। अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त निगरानी प्रकरण में संलग्न की जाये।


(मनोज गोयल)

अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर